राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां

क्रमाक :–रसद/उ.मू.दु./23/ 810-25 दिनांक 03.10.2023

–::कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति क्रमांकः रसद/उ.मू.दु./23/736–51 दिनांक 20.09.2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांकः रसद/उ.मू.दु./23/753–68 दिनांक 22.09.2023 द्वारा बारां जिले की रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। इन आवेदनों पर विचार किये जाने हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु कार्यक्रम तय किया गया था। कार्यालय पर आमजन के द्वारा आवेदन से वंचित रह जाने के कारण आवेदन प्राप्त करने/जमा कराने की तिथि बढ़ाने बाबत् ज्ञापन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है।

अतः जनहित को ध्यान में रखा जाकर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक रसद/उ.मू.दु./23/802–05 दिनांक 02.10.2023 द्वारा जारी साक्षात्कार कार्यक्रम को निरस्त किया जाता है।

इच्छुक पात्र व्यक्ति/संस्था कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां में उपस्थित होकर 100/– का पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत कर दिनांक 16.10.2023 तक आवेदन प्राप्त कर सकते है तथा भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2023 सांय 6:00 बजे तक जिला रसद कार्यालय में जमा करवा सकते है।

रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की सूचि, योग्यता एवं शर्तें पूर्व में जारी विज्ञप्ति अनुसार यथावत रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

जिला रसद अधिकारी
बारां

क्रमाक :–रसद/उ.मू.दु./23/ 810-25 दिनांक 03.10.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग, कोटा।
6. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत्।

7. ए.सी.पी. डीओआईटी जिला कलेक्ट्रेट बारां को कलेक्ट्रेट की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्रीमान सांसद महोदय, बारां–झालावाड़ ।
9. श्रीमान विधायक महोदय, अन्ता, बारां–अटरू, छबड़ा, किशनगंज।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बारां को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
11. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला बारां।
12. तहसीलदार समस्त जिला बारां।
13. विकास अधिकारी समस्त जिला बारां।
14. आयुक्त नगरपरिषद् बारा/अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका समस्त।
15. प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त जिला बारां।
16. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
बारां